



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: edhr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक. 4474

—अधि०निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/(S-IV)/संविदा

दिनांक : 19/09/26

मुख्य अभियन्ता (वितरण)/जानपद
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०,
गढ़वाल/कुमाऊ/हरिद्वार/रूद्रपुर क्षेत्र,

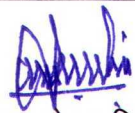
अति आवश्यक

विषय— विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से कार्ययोजित कार्मिकों के सम्बन्ध में अनुबन्ध की कार्यवाही सम्पादित किये जाने तथा तत्सम्बन्धी सूचना प्रेषण विषयक।

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव, सैनिक कल्याण अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्रांक 416803/XVII-C-1/2026 दिनांक 28 जुलाई, 2026 की छायाप्रति आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि शीर्ष प्राथमिकता पर शासन के उक्त पत्र दिनांक 28 जुलाई, 2026 में दिये गये निम्न प्रारूपानुसार पर अपने क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त कार्यालयों में अनुबन्ध सम्पादित करने वाले समस्त उपनल कार्मिकों की संकलित सूचना की एक प्रति प्रबन्ध निदेशक, उपनल, देहरादून कार्यालय एवं इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से 03 दिवसों के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

विभाग का नाम	खण्ड/मण्डल/ईकाइ का नाम	उपनल के माध्यम से कार्ययोजित कुल कार्मिकों की संख्या	अनुबन्ध सम्पादित करने वाले कार्मिकों की संख्या	शेष अनुबन्ध सम्पादित न करने वाले कार्मिकों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

संलग्नक: यथोपरि।


(डॉ० आर० जे० मलिक)
अधिशाली निदेशक (मा०सं०)

प्रतिलिपि :-

- स्टाफ ऑफिसर स्तर-1, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
- निजी सचिव, समस्त निदेशक, उपाकालि, वि०क्रा०वि० ग० सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
- अधिशाली अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी), उपाकालि, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि पत्र को कारपोरेशन की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

शीर्ष प्राथमिकता
संख्या: 416803 XVII-C-1 ई-99423/2026

प्रेषक,

युगल किशोर पन्त,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/
सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- मण्डलायुक्त गढ़वाल एवं कुमाऊं।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।

सैनिक कल्याण अनुभाग

देहरादून: दिनांक: 28 जुलाई, 2026

विषय:- विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से कार्ययोजित कार्मिकों के संबंध में अनुबन्ध की कार्यवाही सम्पादित किये जाने तथा तत्सम्बन्धी सूचना प्रेषण विषयक।
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस विभाग के शासनादेश संख्या-I/367134/XVII-C-1/2025/02(07)/2016 TC, दिनांक 03 फरवरी, 2026 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-I/373024/XVII-C-1/2026/12(18)/2016 रिट/2018, दिनांक 20 फरवरी, 2026 एवं शासनादेश संख्या-I/409688/XVII-C-1/2026/12(18)/2016 रिट/2018, दिनांक 01 जुलाई, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से आउटसोर्स द्वारा कार्ययोजित कार्मिकों को जनहित याचिका संख्या-116/2018 कुन्दन सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 12 नवम्बर, 2018 को पारित आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2- उक्त निर्देशों के अनुपालन में राज्यान्तर्गत विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को कार्यरत पद के सापेक्ष वेतनमान का न्यूनतम महंगाई भत्ते सहित प्रदान किये जाने हेतु कार्मिकों एवं सम्बन्धित मूल नियोक्ता विभागों के मध्य कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशानुसार अनुबन्ध की कार्यवाही सम्पादित की जानी है, जिसमें कतिपय विभागों द्वारा उक्त अनुबन्ध की कार्यवाही सम्पादित भी की जा चुकी है। संज्ञान में आया है कि शासन के उक्त निर्देशों के बावजूद भी कई विभागों में आतिथि अनुबन्ध की कार्यवाही प्रारम्भ/सम्पादित नहीं की गयी है, जो कि अत्यन्त खेदजनक है। सर्वविदित है कि प्रकरण जनहित याचिका संख्या-116/2018 कुन्दन सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12 नवम्बर, 2018 के अनुपालन से सम्बन्धित है, जिसमें शासन के निर्देशों का समयान्तर्गत अनुपालन न किये जाने की दशा में सम्बन्धित वाद में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा भविष्य में विपरीत आदेश पारित किये जाने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभाग का होगा।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में उपरोक्तानुसार शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर अपने अधीनस्थ विभागों में उपनल के माध्यम से कार्ययोजित कार्मिकों के अनुबन्ध संबंधी प्रकरणों का नियमानुसार परीक्षण करते हुये प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के भीतर कार्यवाही सम्पादित कर कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने के साथ ही निम्न प्रारूपानुसार अनुबन्ध सम्पादित करने वाले कार्मिकों की सूचना की एक प्रति शासन तथा प्रबन्ध निदेशक, उपनल को अनिवार्य रूप उपलब्ध कराना सुनिश्चित

करें :-

विभाग का नाम	उपनल के माध्यम से कार्योचित कुल कार्मिकों की संख्या	अनुबन्ध सम्पादित करने वाले कार्मिकों की संख्या	शेष अनुबन्ध सम्पादित न करने वाले कार्मिकों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5

भवदीय,
Digitally signed by
YUGAL KISHORE PANT
Date: 27-07-2026
11:15:22 (युगल किशोर पन्त)
सचिव

संख्या: 416803 / XVII-C-1 / ई-99423 / 2026(1) तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल), देहरादून, को इस आशय से प्रेषित कि कृपया सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुये संकलित सूचना यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(भुवन चन्द्र जोशी)
अनु सचिव